

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर (राजस्थान)

क्रमांक:कार्मिक/2019/ 322

दिनांक: 25/12/2019

—:आदेश:—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में उतीर्ण अभ्यर्थियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में दिनांक 7.7.2017 को अस्थाई परिणाम घोषित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के लिये नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गयी है, में नियुक्तियां आवंटित पदों के संबंध में डी.बी.अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 3.11.2017 व डीबी स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 5.3.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.4.2018 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सी.रिट पिटिशन संख्या 11497/2017 धारासिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.7.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अधधीन रही। आयोग द्वारा दिनांक 16.7.2018 को जारी की गई आरक्षित सूची में से कार्यग्रहण नहीं करने वाले (NJR) के विरुद्ध अधीनस्थ कार्यालय हेतु अभ्यर्थी पिक-अप किये गये। आरक्षित सूची में से नियुक्ति देने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. 16190/2018 योगेन्द्र कुमार कपूरिया व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.9.2018 के द्वारा यथास्थिति के स्थगन आदेश पारित किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को प्रेषित सूची में से उक्त विभाग को द्वारा नियुक्ति हेतु पत्रांक (6) प्र.स./अनु-3/2017 दिनांक 14.02.2019 द्वारा आवंटित किये गये अभ्यर्थियों में से उपस्थित आए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम- 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में लिपिक ग्रेड - II के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक:एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के शिडयूल VI के तहत लेवल-5 में 14600/- (अक्षरें रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित विभाग/कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद्वारा किया जाता है:-

S.NO.	MERIT NO	RNO	NAME	FATHER NAME	CATEGORY	DOB	NEW POSTING
1.	28	587620	GAYAD SINGH	KUMB SINGH	GENM	01.12.1994	COLLECTORATE, JAISALMER
2.	360	585516	SHOBH SINGH	HARI SINGH	GENM	18.07.1992	COLLECTORATE, JAISALMER
3.	421	587140	SHAITAN SINGH	ANOP SINGH	GENM	15.08.1993	COLLECTORATE, JAISALMER
4.	615	585037	NAVIN KUMAR	RADHE SHYAM	GENM	12.12.1993	COLLECTORATE, JAISALMER
5.	641	587161	SWAROOP SINGH BHATI	BINJRAJ SINGH	GENM	01.05.1986	COLLECTORATE, JAISALMER
6.	4167	655193	RAJENDRA BISHNOI	BABULAL BISHNOI	BC	07.07.1993	COLLECTORATE, JAISALMER

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. उक्त नियुक्तियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटीएससी ओबीसीएसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159/दिनांक: 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक: 20.10.2015, एवं प011 (204) आरण्डप/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अधधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि काई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड-II के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

